

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 45/2010

प्राथी	बनाम	अप्राथी
राजस्थान सरकार तहसीलदार बाड़मेर।	जरिये	1 नरेन्द्र कुमार पुत्र गदनलाल जाति अग्रवाल निवासी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RTA Act.

उपरिस्थिति :- 1 पैंरोकार सरकार।

2 श्री श्यामलाल सिंघल वकील अप्राथीगण।

आदेश

दिनांक: 17.04.2018

संक्षिप्त में प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 233/18 रकबा 01.08 बीघा भूमि का प्राथी भूमिधारी है। उक्त भूमि में से रकबा 01.00 बीघा जो संलग्न नक्शे में दर्शाई गई है, जिसका उपयोग बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 233/18 रकबा 01.08 बीघा भूमि अप्राथी के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्राथी को सुपुर्द करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्राथी को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्राथी द्वारा जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 233/18 रकबा 01.08 बीघा के अप्राथीगण अभिलिखित खातेदार अवश्य है, परन्तु उक्त भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाकर दिनांक 06.01.2011 को अन्तिम एवार्ड पारित किया जा चुका है, जिससे प्राथी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दी गई है, जो विचाराधीन है। चूंकि भूमि अवाप्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं

होने से प्रकरण खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुना गया। पैंरोकार सरकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि सम्पत्तिवर्तन किये बिना अप्राथीगण द्वारा खातेदारी भूमि का कृषि से भिन्न उपयोग कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया है। अतः उक्त भूमि जिसका कृषि से भिन्न उपयोग किया गया है, को राज्य सरकार में समाहित करते हुए प्राथी को उसका कब्जा प्रदान करावें।

वकील अप्राथी द्वारा अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 233/18 रकबा 01.08 बीघा के अप्राथी अभिलिखित खातेदार अवश्य है, परन्तु उक्त भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाकर दिनांक 06.01.2011 को अन्तिम एवार्ड पारित किया जा चुका है, जिससे प्राथी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दी गई है, जो विचाराधीन है। चूंकि भूमि




(2)

अवाप्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं होने से प्रकरण खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा मुआवजा की राशि को चुनौति देने बाबत विचाराधीन प्रकरण की ऑनलाईन प्रति प्रस्तुत की, जिसमें प्रकरण लम्बित होना दर्शाया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर चिन्तन-मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा चक धोलका के खेत खसरा संख्या 233/18 रकबा 01.08 बीघा भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाकर दिनांक 06.01.2011 को अन्तिम एवार्ड पारित किया जा चुका है, जिससे प्रार्थी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दी गई है, जो विचाराधीन है। भूमि अवाप्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं होने से प्रकरण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है।



(नीरज मिश्र)

सहायक कलक्टर(SDO),
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 17.04.2018 को सरें इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर(SDO),
बाड़मेर
(SDO) बाड़मेर